

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 49/2019/आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. श्योजीराम पुत्र श्री मुन्नाराम जाति जाट निवासी अमरपुरा (मुण्डियावास) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
—प्रार्थी

ब न म

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—अप्रार्थी

है:

आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट


उपस्थिति—

1. श्री आनन्द राड़ वकील प्रार्थी की ओर सैं।

नि र्ण य


दिनांक — 04.12.2019

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 263/1 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 362 रकबा 2.31 है0, किता 2 कुल रकबा 2.70 है0 एवं ख0नं0 233/1 रकबा 0.38 है0, ख0नं0 361 रकबा 0.02 है0, व ख0नं0 362/2 रकबा 2.30 है0 किता 3 कुल रकबा 2.70 है0 वाके ग्राम अमरपुरा प0ह0 मुण्डियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिनमें प्रार्थी दर्ज हिस्सेनुसार काबिज काश्तकार रहकर उपयोग उपभोग कर रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सेवाराम पुत्र मुन्नाराम के नाम सैं दर्ज है जिनमें एकरूपता नहीं है। प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम श्योजीराम पुत्र मुन्नाराम है जो निर्वाचन फोटो पहचान पत्र, परिवार राशनकार्ड, आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थी का नाम सेवाराम पुत्र मुन्नाराम दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में संहवन सैं प्रार्थी का नाम सेवाराम दर्ज है जो गलत है। इनकी जगह प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम श्योजीराम उद्घोषित किया जाना सादर प्रार्थनीय है। अतः आवेदन पत्र पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थी डिक्री किया जाकर विवादित आराजियात कृषि भूमि खसरा नम्बर 263/1 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 362 रकबा 2.31 है0, किता 2 कुल रकबा 2.70 है0 एवं ख0नं0 233/1 रकबा 0.38 है0, ख0नं0 361 रकबा 0.02 है0, व ख0नं0 362/2 रकबा 2.30 है0 किता 3 कुल रकबा 2.70 है0 वाके ग्राम अमरपुरा प0ह0 मुण्डियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम श्योजीराम उद्घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज प्रार्थी का नाम सेवाराम के स्थान पर प्रार्थी


उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

- का सही व वास्तविक नाम श्योजीराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जावे।
2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी स्वयं तथा सहखातेदार लिखमाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी अमरपुरा के बयानात लिये गये जिनमें सहखातेदार लिखमाराम ने उक्त वांछित दुरुस्ती करने हेतु अनापत्ति जाहिर की तथा प्रार्थी के गलत रूप से अंकित नामों को दुरुस्त कर श्योजीराम दर्ज करने हेतु आग्रह किया। आवेदन पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने आवेदन पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए संभवन से गलत अंकित प्रार्थी के नाम को दुरुस्त कर सही व वास्तविक नाम श्योजीराम दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया।
3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। सहखातेदार के बयानात पर गौर किया गया। चूंकि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में एकरूप नहीं है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा सहखातेदार के बयानों के आधार पर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम अमरपुरा तह0 दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 263/1 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 362 रकबा 2.31 है0, किता 2 कुल रकबा 2.70 है0 एवं ख0नं0 233/1 रकबा 0.38 है0, ख0नं0 361 रकबा 0.02 है0, व ख0नं0 362/2 रकबा 2.30 है0 किता 3 कुल रकबा 2.70 है0 में खातेदार प्रार्थी का नाम सेवाराम पुत्र मुन्नाराम के स्थान पर प्रार्थी श्योजीराम पुत्र मुन्नाराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड (अधीक) कुमार
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ